न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2023 (राजसमन्द आर्डर)

शंकरलाल पिता देवाजी रेबारी, निवासी रेबारियों की ढाणी, केलवा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती रीना कुमावत पत्नी भगवानलाल जी कुमावत, निवासी कैलाश चौराहा, धोईन्दा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती राधा देवी पत्नी रमणलाल जी सुथार, निवासी मालीवाड़ा, विश्वकर्मा मन्दिर के पास, राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, राजसमन्द (राज.)
4. निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.)
5. खान एवं भू विज्ञान विभाग जरिये खनिज अभियन्ता खण्ड द्वितीय, राजसमन्द।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा॰का॰अधि॰
1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द दि॰
18–09–2023 प्रकरण संख्या 54/2023

———::———

उपस्थित :– 1– श्री कुलदीप पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं.1
3– श्री गुलजार सिंधी अभिभाषक रेस्पो.सं. 4, 5
4– श्री राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 6

———::———

निर्णय **दिनांक 23–11–2023**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की आराजी नंबर 50 रकबा 48 बीघा 18 बिस्वा अर्थात

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested

7.9156 हैक्टर भूमि राजस्व ग्राम केलवा में स्थित है, जिसमें एम.एल.नंबर 21/2007 निकट ग्राम केलवा का खनन पट्टा गिरता है, जबकि उक्त आराजी के संबंध में प्रार्थी अथवा अन्य सहखातेदार द्वारा पट्टाधारी के पक्ष में किसी प्रकार की सहमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र खनन कार्य करने बाबत् जारी नहीं किया गया है इसलिए खनन पट्टा नियमों के विपरीत होने से प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है। आराजी नंबर 2150 में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है, जिसमें विपक्षी संख्या 1 व 2 को खनन कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन विपक्षीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से अपने पक्ष में नियमों के विपरीत स्वीकृत खनन पट्टे की आड़ में खनन कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला मूलवाद विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे आराजी नंबर 2150 में किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

विपक्षी संख्या 1 ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा निवेदन किया कि विभाग द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है एवं तत्समय के खातेदार द्वारा सहमति/अनापत्ति दी गयी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 18–09–2023 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे होकर रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29–09–2023 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री गुलजार सिंघी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 6 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट विवादित आराजी नंबर 2150 का सहखातेदार होकर उसका 1/2 हिस्सा होना जमाबन्दी से स्पष्ट है। अपीलान्ट की सहखातेदारी की भूमि में बिना उसकी सहमति/अनापत्ति के जो खनन पट्टा जारी किया गया है वह नियमों के विपरीत है, पट्टाधारी द्वारा प्रकरण में कोई जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही विभाग द्वारा कोई जवाब पेश किया गया है। पट्टाधारी अन्तरिती है, पूर्व में यह खनन पट्टा खण्डित हो गया। पर्यावरण विभाग की अनापत्ति नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने अन्य सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाने के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में चाही गयी दाद उसे दिलायी जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें हाईकोर्ट जोधपुर द्वारा पुखराम बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 19–12–2021, आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 861, डी.एन.जे. (राज.) 2008 (1) पेज 526, एस.सी.सी. (4) 2013 पेज 559, ए. आई.आर. 2005 सुप्रिम कोर्ट पेज 104 एवं ए.आई.आर. 1981 सुप्रिम कोर्ट पेज 7 से 11 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं का विस्तृत विवेचन कर साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2017 (2) डी.एन.जे. (राज.) पेज 888, आर.आर.टी. 2016–17 (SC) पेज 107, आर.आर.डी. 1990 पेज 560 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर विस्तृत विवेचन करने हुए यह माना है कि विवादित आराजी नंबर 2150 के सभी सहखातेदारों को प्रार्थी ने पक्षकार नहीं बनाया है। सहखातेदार विजयलाल द्वारा एक सिविल वाद प्रस्तुत किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है तथा खनन कार्य किये जाने के कारण वर्तमान में भूमि काश्त योग्य नहीं है। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय ने यह भी माना कि राधादेवी के पक्ष में दिनांक 04–04–2008 को न्यायालय अतिरिक्त निदेशक उदयपुर जोन द्वारा अपील संख्या 137/07 में आदेश पारित किया गया था, जिसके अनुसरण में खनन पट्टे का नवीनीकरण किया गया है, जिसके पश्चात् प्रार्थी ने उक्त आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। प्रार्थी स्वच्छ हाथों ने नहीं आया है। उक्त आधारों पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अपीलान्ट की मुख्य आपत्ति यह है कि पट्टा नवीनीकरण से पूर्व पर्यावरण विभाग की सहमति/अनात्ति प्राप्त नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested

की गयी है एवं इस सम्बन्ध में जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की हैं, जिसके अनुसार खनन पट्टा जारी करने से पूर्व खातेदार की सहमति ली जानी चाहिए, किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी के पिता देवा ने अपनी अनापत्ति बाबत् शपथ पत्र दिनांक 22–04–1983 को प्रस्तुत किया है, जिसका नवीनीकरण दिनांक 11–06–2008 को किया गया, न कि नया पट्टा जारी किया गया है। तद्नुसार प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के तथ्य वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। हम यह भी पाते हैं कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 27–03–2022 को प्रस्तुत किया गया है, जो पट्टा नवीनीकरण दिनांक 11–06–2008 के करीब 14 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है। इतने वर्षो तक अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा पट्टा निरस्ती के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी, इसका कोई कारण उन्होंने नहीं बताया है। इसके अलावा इसी आराजी नंबर 2150 के अन्य सहखातेदार विजयलाल द्वारा वर्ष 2022 में सिविल न्यायाधीश राजसमन्द में अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रकरण संख्या 118/2022 प्रस्तुत किया है, जो सिविल न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् दिनांक 09–02–2022 को खारिज किया गया है, लेकिन उक्त तथ्य को प्रार्थी/अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में छुपाते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा चाही की दाद चाही है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट/प्रार्थी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलान्ट का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18–09–2023 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 23–11–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested